International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 59-68

मुद्रा योजना द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का नवीकरणः उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन

विष्णु दत्त*
डॉ. आलोक सिंह**

सार

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बचत और विनियोग एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो उस देश में पूंजी के निर्माण में सहायक होती है। भारत एक विकासशील देश है जिसे वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में जनसंख्या में अग्रगामी के साथ–साथ अधिकाधिक युवा जनसंख्या वाला देश भी कहा जाता है, परन्तु भारत मे गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि समस्या आज भी विद्यमान है। अतः भारतीय सन्दर्भ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आय–सृजन करना व आत्मनिर्भर बनाना एक अपरिहार्य कार्य बन गया है। सूक्ष्म वित्त की भूमिका किसी भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के विकास के लिए जड़ एवं तना दोनों का कार्य करती है अर्थात् स्टार्टअप के लिए जड़ एवं विद्यमान उद्योगों के लिए तने का कार्य करता है। सूक्ष्म वित्त को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा सामयिक तौर पर अनेकानेक सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं का शुभारम्भ एवं संचालन किया जाता रहता है। मुद्रा योजना उन्हीं योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण, लघु प्रक्रम, सेवा क्षेत्र आदि के विकास के लिए संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत ऋण धनराशि को त्रि–स्तरों (शिशु, किशोर व तरुण) में विभाजित कर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अधिकतम 10 लाख तक की ऋण धनराशि प्रदान की जाती है। यह शोध प्रपत्र मुद्रा योजना का उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के सन्दर्भ में निष्पादन मूल्यांकन पर प्रकाश डालता है, जिसमे 2016–17 से 2022–23 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसमे कोरोना संक्रमण काल के समय को भी ध्यान में रखा गया है तथा दोनों राज्यों की तुलनात्मक प्रगति व मूल्यांकन को भी दृष्टिगत किया गया है।

शब्दकोषः *मुद्रा योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।*

प्रस्तावना

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य उस देश में चल रहे अधिकाधिक वृहत पैमाने के उद्योग–धंधों रूपी दर्पणों से नहीं झलकता है बल्कि उस देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग धंधों की अरोग्यता पर निर्भर करता है। भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास की अत्यंत आवश्यकता हुई है क्योंकि यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या के साथ–साथ सर्वाधिक गरीबी (लगभग विश्व का 33 प्रतिशत), बेरोजगारी (विशेषतः प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं तकनीकी बेरोजगारी), आर्थिक असमानता आदि नकारात्मक आर्थिक घटकों की प्रबलता व्याप्त है। गौरतलब है कि जर्मनी और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भागीदारी क्रमशः 55 प्रतिशत व 60 प्रतिशत है जो इस बात का सूचक है कि भारत को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए एक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ेगी। भारत जैसे देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के

* शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
** सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

विकास में मुख्यतः पर्याप्त ऋण आपूर्ति आज भी बाधा बनी हुयी है। अन्य बाधाओं में तकनीकी बाधाएं (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा एनालिटिक्स आदि), नियामकीय बाधाएं (लाइसेंस प्राप्त करना, करों का भुगतान, निर्यात सुविधाएं आदि), सलाहकारी सुविधा प्रदाता संस्थाओं की कमी आदि प्रमुख है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें सामयिक तौर पर कई सारी योजनाओं को लागू करती रहती है। इसी तत्वाधान में 8 अप्रैल, 2015 को देश के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना को हरी झंडी दिखायी। मुद्रा योजना एक पुनर्वित्त प्रक्रिया द्वारा प्रसारित योजना है जिसके तहत गैर–निगमीय, गैर–कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण की आपूर्ति करायी जाती है। इसके अंतर्गत ऋण सुविधा को त्रि–स्तरों में विखंडित कर प्रदान की जाती है। यह योजना विशेषतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए अस्तित्व में लायी गयी है, जिसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि का निराकरण करना भी है।

साहित्य पुनर्विलोकन

प्रोफेसर मोना गिरनार (2015) का यह अध्ययन मुद्रा योजना की अवधारणा, उसके उत्पादों तथा विभिन्न राज्यों की निष्पादन स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है। सरकार की यह पॉलिसी भारतीय उद्यमिता के विकास तथा अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अन्य ऋण योजना की तुलना में मुद्रा योजना उद्यमियों के प्रति अत्यंत प्रभावकारी है क्योंकि इसमें संपार्श्विक संपत्ति तथा अधिक प्रलेखों की आवश्यकता नहीं होती है।

राजेश कुमार (2019) द्वारा उत्तर–पूर्वी राज्यों के सन्दर्भ में मुद्रा योजना का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, साथ ही साथ प्रत्येक उत्तर–पूर्वी राज्यों के वितरण स्वरुप का भी अध्ययन किया गया है। 2018–19 की समस्त वितरित धनराशि में केवल 4 प्रतिशत ही उत्तर पूर्वी राज्यों को दिया गया था। शिशु ऋण स्तर में त्रिपुरा, किशोर ऋण स्तर में असम व तरुण स्तर में सिक्किम ऋण खातों में चक्रवृध्दि वार्षिक वृध्दि के सन्दर्भ में अग्रगामी है।

डॉ. संतोष बाला साहेब खलाटे एवं डॉ० संजय कुमार बीरबल शिंदे (2022) द्वारा मुद्रा बैंक व इसके उत्पादों तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के निष्पादन का भारतीय स्तर पर अध्ययन किया गया है। मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल मिलाकर 7.42 करोड खाते खोले गए, जिसमे लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गयी। इस योजनान्तर्गत लगभग 2.25 करोड़ नए खाते भी खोले गए जो देखने में वृहत मात्रा में रोजगार विकसित करने का सूचक है।

हरविंदर सिंह एवं कवल नैन सिंह (2023) द्वारा अपने अध्ययन में मुद्रा योजना की वर्तमान स्थिति का समग्र दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं निर्वचन किया गया है। मुद्रा ऋण की अवधारणा लघु व्यवसायियों की मौद्रिक जरूरत को पूरा करता है। भारतीय सन्दर्भ में मुद्रा योजना को वित्तीय संस्थानों द्वारा वृहत क्षेत्र तक प्रसारित किया गया है। मुद्रा ऋण अन्य लघु व्यावसायिक ऋण की अपेक्षा अत्यंत सरल ऋण है।

अध्ययन का उद्देश्य

- मुद्रा योजना का अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में मुद्रा योजना के निष्पादन मूल्यांकन का अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में मुद्रा योजना की तुलनात्मक प्रगति का अध्ययन।
- वित्तीय समावेशन में मुद्रा योजना के योगदान का अध्ययन।
- मुद्रा योजना के सन्दर्भ में प्रासंगिक सुझाव देना।

शोध प्राविधि

यह शोध प्रपत्र वर्णात्मक प्रकृति पर आधारित है एवं इसमें द्वितीयक समंकों को विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु सांख्यकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत, माध्य एवं अनुपातों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण एवं निर्वचन

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की पृष्ठभूमि**

एनएसएसओ के सर्वेक्षण, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 5.77 करोड़ लघु व्यावसायिक इकाईयां थी जिनमे से अधिकांशतः व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इकाइयों का बोलबाला था। लघु उद्योगों की तत्कालीन वित्तीय समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 2015–16 के वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में मुद्रा योजना को स्थान दिया गया जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से "अंतिम मील वित्तपोषकों" को पुनर्वित्त करने के लिए था।

मुद्रा योजना का पूर्ण रूप "सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी" है जिसे 8 अप्रैल, 2015 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरम्भ किया गया था। इस योजना के द्वारा विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, छोटे दुकानदार एवं अन्य व्यावसायिक इकाइयों को अधिकतम 10 लाख तक की संपार्श्विक रहित ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है। इस योजना का संचालन सिडबी के अधीन किया जाता है।

इस योजना के संचालन हेतु मुद्रा बैंक की स्थापना की गयी जो सूक्ष्म वित्त प्रदाता संस्थानों को पुनर्वित्त करता है। मुद्रा बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहायक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्यों का को–ऑपरेटिव बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, स्मॉल फाइनेंस बैंक को पुनर्वित्त किया जाता है जो छोटे उधारकर्ताओं को अधिकतम 10 लाख तक का संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करते है।

मुद्रा योजना विजन – "व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पिरामिड जगत के निचले स्तर के लोगों के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के अनुरूप एक उत्कृष्ट एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदाता बनाना।"

मुद्रा योजना मिशन – "आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे सहयोगी संस्थानों के सहयोग से एक समावेशी, टिकाऊ और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना।"

- **मुद्रा योजना का उद्देश्य**
  - बैंक रहित स्थानों तक वित्त की सुविधा देकर अंतिम मील तक वित्त की पहुँच की खाई को पाटना।
  - विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु।
  - महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता देना।
  - युवा, शिक्षित एवं प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्य धारा में लाना।

  मुद्रा योजना के तहत ऋण को त्रि–स्तरों में बांटा गया है–
  - शिशु – 50,000 रुपये तक ऋण की सुविधा।
  - किशोर – 50,001 से 5,00,000 रुपये तक ऋण की सुविधा।
  - तरुण – 5,00,001 से 10,00,000 रुपये तक ऋण की सुविधा।

इस योजना को तीन स्तरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के वृध्दि स्तर के अनुसार विभाजित किया गया है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें 60 प्रतिशत तक शिशु व शेष 40 प्रतिशत किशोर व तरुण के लिए ऋण धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश में मुद्रा योजना के तहत अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि

(धनराशि करोंड़ों में)

	शिशु			किशोर			तरुण			कुल		
वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि
2016–17	3076798	6884.38	6756.77	213841	4609.59	4388.28	46908	3788.64	3608.53	3337547	15282.61	14753.59
2017–18	3963399	8581.82	8396.56	362732	7596.67	7171.13	75086	5899.40	5606.71	4401217	22077.89	21174.46
2018–19	4441760	10309.66	9954.05	445656	8835.58	8318.56	88545	7045.34	6616.31	4975961	26190.58	24888.92
2019–20	5222319	13971.67	13802.30	542245	9345.83	8806.14	96858	7631.85	7192.93	5861422	30949.36	29801.37
2020–21	3898753	10301.14	10016.97	737244	11040.15	10461.37	102455	7890.06	7396.79	4738452	29231.35	27875.13
2021–22	4592780	12769.62	12615.74	1098459	12891.86	12523.61	96743	8002.25	7711.57	5787982	33663.73	32850.80
2022–23	5042608	16515.45	16291.05	1629124	19043..84	18740.63	136989	12635.61	12395.57	6808721	48194.90	47427.26

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

उपर्युक्त प्रदर्शित तालिका से यह ज्ञात होता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु किशोर व तरुण तीनों स्तरों पर उत्तर प्रदेश में ऋण मुहैया कराया गया है –

- शिशु स्तर के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक संवितरित धनराशि में क्रमागत संवृध्दि पायी गयी गई है परन्तु वित्तीय वर्ष 2020–21 में शिशु स्तर में संवितरित धनराशि में कमी देखने को मिलता है जो संभवतः कोरोना संक्रमण के कारण परिलक्षित हुआ है, वहीं कोरोना संक्रमण पश्चात पुनः संवितरित धनराशि में तीव्र संवृध्दि देखने को मिलता है।
- किशोर व तरुण स्तर के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2022–23 तक संवितरित धनराशि में संवृध्दि ही पायी गयी है अतः इन दोनों स्तरों में कोरोना संक्रमण काल का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है।
- समग्र दृष्टिकोण (शिशु, किशोर व तरुण तीनों) को देखने से यह ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक खातों की संख्या, अनुमोदित व संवितरित धनराशि तीनो में संवृध्दि देखने

को मिलता है लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में खातों की कमी एवं अनुमोदित व संवितरित धनराशि में भी आनुपातिक रूप से कमी देखने को मिलता है, यह कमी संभवतः कोरोना संक्रमण के कारण से परिलक्षित होता है। कोरोना संक्रमण काल पश्चात् पुनः समग्र स्तरों में खातों की संख्या व संवितरित धनराशि में संवृध्दि देखने को मिलती है।

तालिका 2: मध्य प्रदेश में मुद्रा योजना के तहत अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि

(धनराशि करोंड़ों में)

	शिशु			किशोर			तरुण			कुल		
वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	खातों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि
2016–17	2532101	5493.89	5433.54	120581	2688.81	2543.23	30370	2323.75	2215.14	2683052	10506.45	10191.91
2017–18	2648183	7090.18	7011.07	204239	4391.28	4130.88	46701	3404.69	3215.57	2899123	14886.15	14357.52
2018–19	2812855	7875.28	7725.30	325953	5226.87	4967.13	1439815	4305.77	4099.90	3282723	17407.92	16792.33
2019–20	3063437	9169.15	9130.35	391333	5404.70	5173.28	103178	4486.17	4274.41	3557948	19060.01	18578.04
2020–21	2693204	7410.99	7260.72	495472	6782.83	6494.94	60482	4280.42	4067.18	3249158	18474.24	17822.84
2021–22	2568102	7415.08	7297.49	606752	7304.27	7006.54	56950	4095.91	3914.40	3231804	18814.95	18218.44
2022–23	2697276	8835.38	8710.71	930087	10824.35	10444.70	74298	5641.57	5477.18	3701661	25301.30	24632.59

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

उपर्युक्त प्रदर्शित तालिका से स्पष्ट होता है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी शिशु, किशोर व तरुण अर्थात् त्रि–स्तरों में ऋण मुहैया कराया गया है –

- शिशु व तरुण स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक संवितरित धनराशि में संवृध्दि देखने को मिलती है लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में शिशु व तरुण दोनों स्तरों में संवितरित धनराशि पर कमी पाया गया है, जो संभवतः कोरोना संक्रमण के कारण परिलक्षित हुआ है। कोरोना संक्रमण पश्चात् पुनः दोनों स्तरों में संवितरित धनराशि पर संवृद्धि देखने को मिलता है।

- किशोर स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2022–23 तक संवितरित धनराशि में निरंतर संवृध्दि पायी गयी है अर्थात् कोरोना संक्रमण का इस स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
- समग्र दृष्टिकोण (शिशु, किशोर व तरुण तीनों) को देखने से यह ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक खातों की संख्या, अनुमोदित व संवितरित धनराशि तीनो में संवृध्दि देखने को मिलता है लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में खातों की कमी एवं अनुमोदित व संवितरित धनराशि में भी आनुपातिक रूप से कमी देखने को मिलता है यह कमी संभवतः कोरोना संक्रमण के कारण से परिलक्षित होता है। कोरोना संक्रमण काल पश्चात् पुनः समग्र स्तरों में खातों की संख्या व संवितरित धनराशि में संवृध्दि देखने को मिलती है।

तालिका 3: उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संवितरित धनराशि में आनुपातिक अंतर

(धनराशि करोंड़ों में)

	शिशु			किशोर			तरुण			कुल		
वित्तीय वर्ष	संवितरित धनराशि उत्तरप्रदेश	संवितरित धनराशि मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश के संवितरित धनराशि की मध्य प्रदेश की तुलना में अधिकता (गुना में)	संवितरित धनराशि उत्तरप्रदेश	संवितरित धनराशि मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश के संवितरित धनराशि की मध्य प्रदेश की तुलना में अधिकता (गुना में)	संवितरित धनराशि उत्तर प्रदेश	संवितरित धनराशि मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश के संवितरित धनराशि की मध्य प्रदेश की तुलना में अधिकता (गुना में)	संवितरित धनराशि उत्तर प्रदेश	संवितरित धनराशि मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश के संवितरित धनराशि की मध्य प्रदेश की तुलना में अधिकता (गुना में)
2016–17	6756.77	5433.54	1.24	4388.28	2543.23	1.73	3608.53	2215.14	1.63	14753.59	10191.91	1.41
2017–18	8396.56	7011.07	1.19	7171.13	4130.88	1.74	5606.71	3215.57	1.74	21174.46	14357.52	1.47
2018–19	9954.05	7725.30	1.29	8318.56	4967.13	1.67	6616.31	4099.90	1.61	24888.92	16792.33	1.48
2019–20	13802.30	9130.35	1.51	8806.14	5173.28	1.70	7192.93	4274.41	1.68	29801.37	18578.04	1.60
2020–21	10016.97	7260.72	1.38	10461.37	6494.94	1.61	7396.79	4067.18	1.82	27875.13	17822.84	1.56
2021–22	12615.74	7297.49	1.73	12523.61	7006.54	1.78	7711.57	3914.40	1.97	32850.80	18218.44	1.80
2022–23	16291.05	8710.71	1.87	18740.63	10444.70	1.79	12395.57	5477.18	2.26	47427.26	24632.59	1.92

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

इस तालिका के अध्ययन के फलस्वरूप निम्न ज्ञात होता है –

- शिशु स्तर में, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों में संवितरित धनराशि के उच्चावचन में एक ही प्रवृत्ति पायी गयी है लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 के कमी के बाद से उत्तर प्रदेश ने तो अपनी अंकगणितीय प्रतिशत वार्षिक वृध्दि प्राप्त कर ली है जबकि मध्य प्रदेश ने अपनी पुरानी संवितरित धनराशि में प्रतिशत वार्षिक वृध्दि प्राप्त करने में असफल रहा है।
- किशोर स्तर में, दोनों राज्यों में समान प्रवृत्ति वाला उच्चावचन देखने को मिलता है अर्थात् कोरोना काल का प्रभाव किशोर स्तर में विशेष देखने को नहीं मिलता है।
- तरुण स्तर में, उत्तर प्रदेश संवितरित धनराशि में प्रत्येक वर्ष प्रतिशत वृध्दि प्राप्त किया है लेकिन मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 में प्रतिशत वृध्दि से विचलित हो जाता है जो संभवतः कोरोना संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगोचर करता है।
- उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 की संवितरित धनराशि में कोरोना संक्रमण का प्रभाव दोनों राज्यों में पड़ता है।

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्रमशः लगभग 20 (19.98) करोड़ व लगभग 7 (7.26) करोड़ थी जिनमे से 15–59 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश में लगभग 11 करोड़ तथा मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ जनसंख्या थी, अतः इन आयु समूहों की जनसंख्या के आनुपातिक रूप में उत्तर प्रदेश की संवितरित धनराशि मध्य प्रदेश की संवितरित धनराशि की तुलना में लगभग 2.75 गुना होना चाहिए जो अभी तक के वित्तीय वर्षों में कहीं देखने को नहीं मिली है, अतः मुद्रा योजना का निष्पादन मध्य प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में अत्यंत कम है।

तालिका 4: उत्तर प्रदेश की अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि में प्रतिशत अंतर

(धनराशि करोंड़ों में)

	शिशु			किशोर			तरुण			कुल		
वित्तीय वर्ष	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर
2016–17	6884.38	6556.77	4.76	4609.59	4388.28	4.80	3788.64	3608.53	4.75	15282.61	14753.59	3.46
2017–18	8581.82	8396.56	2.16	7596.67	7171.13	5.60	5899.40	5606.71	4.96	22077.89	21174.46	4.09
2018–19	10309.66	9954.05	3.45	8835.58	8318.56	5.85	7045.34	6616.31	6.09	26190.58	24888.92	4.97
2019–20	13971.67	13802.30	1.21	9345.83	8806.14	5.77	7631.85	7192.93	5.75	30949.36	29801.37	3.71
2020–21	10301.14	10016.97	2.76	11040.15	10461.37	5.24	7890.06	7396.79	6.25	29231.35	27875.13	4.64
2021–22	12769.62	12615.74	1.21	12891.86	12523.61	2.86	8002.25	7711.57	3.63	33663.73	32850.80	2.41

2022–23	16515.45	16291.05	1.36	19043.84	18740.63	1.59	12635.61	12395.57	1.90	48194.90	47427.26	1.59
औसत अंतर			2.42			4.53			4.76			3.55

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

प्रथम अर्थात् शिशु स्तर में अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि में औसतन अंतर 2.42 प्रतिशत एवं द्वितीय अर्थात् किशोर स्तर में अंतर 4.53 प्रतिशत है तथा तृतीय स्तर अर्थात् तरुण स्तर में अंतर 4.76 प्रतिशत है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अनुमोदित धनराशि के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगभग सफल रही है।

तालिका 5: मध्य प्रदेश की अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि में प्रतिशत अंतर

(धनराशि करोंड़ों में)

	शिशु			किशोर			तरुण			कुल		
वित्तीय वर्ष	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर	अनुमोदित धनराशि	संवितरित धनराशि	अंतर
2016–17	5493.89	5433.54	1.10	2688.81	2543.23	5.41	2323.75	2215.14	4.67	10506.45	10191.91	2.99
2017–18	7090.18	7011.07	1.12	4391.28	4130.88	5.93	3404.69	3215.57	5.55	14886.15	14357.52	3.55
2018–19	7875.28	7725.30	1.90	5226.87	4967.13	4.97	4305.77	4099.90	4.78	17407.92	16792.33	3.54
2019–20	9169.15	9130.35	0.42	5404.70	5173.28	4.28	4486.17	4274.41	4.72	19060.01	18578.04	2.53
2020–21	7410.99	7260.72	2.03	6782.83	6494.94	4.24	4280.42	4067.18	4.98	18474.24	17822.84	3.53
2021–22	7415.08	7297.49	1.59	7304.27	7006.54	4.08	4095.91	3914.40	4.43	18814.95	18218.44	3.17
2022–23	8835.38	8710.71	1.41	10824.35	10444.70	3.51	5641.57	5477.18	2.91	25301.30	24632.59	2.64
औसत अंतर			1.36			4.63			4.58			3.14

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में शिशु स्तर में अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि का अंतर 1.36 प्रतिशत किशोर स्तर में 4.63 प्रतिशत व तरुण स्तर में 4.58 प्रतिशत है अतः मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगभग सफल रही है।

तालिका 6: उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अनुमोदित एवं संवितरित धनराशि की प्रतिशत अंतर की तुलना

(धनराशि करोंड़ों में)

वित्तीय वर्ष	शिशु		किशोर		तरुण		कुल	
	अंतर उत्तर प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर मध्य प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर उत्तर प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर मध्य प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर उत्तर प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर मध्य प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर उत्तर प्रदेश (प्रतिशत में)	अंतर मध्य प्रदेश (प्रतिशत में)
2016–17	4.76	1.10	4.80	5.41	4.75	4.67	3.46	2.99
2017–18	2.16	1.12	5.60	5.93	4.96	5.55	4.09	3.55
2018–19	3.45	1.90	5.85	4.97	6.09	4.78	4.97	3.54
2019–20	1.21	0.42	5.77	4.28	5.75	4.72	3.71	2.53
2020–21	2.76	2.03	5.24	4.24	6.25	4.98	4.64	3.53
2021–22	1.21	1.59	2.86	4.08	3.63	4.43	2.41	3.17
2022–23	1.36	1.41	1.59	3.51	1.90	2.91	1.59	2.64
औसत अंतर	2.42	1.36	4.53	4.63	4.76	4.58	3.55	3.14

स्रोत : https://www.mudra.org.in/

उपर्युक्त तालिका से निम्न तथ्य ज्ञात होते है –

- शिशु स्तर में मध्य प्रदेश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अपने अनुमोदित धनराशि के संवितरण लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक विचलित हो रहा है। वहीं किशोर एवं तरुण स्तर में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों लगभग सामान रूप से अनुमोदित धनराशि की संवितरण लक्ष्य को प्राप्त करने में विचलित हो रहे है।
- समग्र दृष्टिकोण में, शिशु, किशोर व तरुण तीनो स्तरों का विचलन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में समान है। अतः दोनों राज्यों में सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के वितरण लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह अध्ययन इस तथ्य को निष्कर्षित करता है कि मुद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक अनूठी पहल है जो भारतीय समाज के मौद्रिक दृष्टिकोण से अस्पर्शित वर्गों को वित्तीय समावेशन करता है। यह योजना विशेष तौर पर महिला उद्यमिता, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिबद्ध है।

मुद्रा योजना का निष्पादन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनो ंराज्यों में प्रगति की ओर ही है लेकिन 2020–21 के वित्तीय वर्ष में खातों की संख्या एवं संवितरित धनराशि की वार्षिक वृध्दि में कमी दृष्टिगत हुयी, जो संभवतः कोरोना संक्रमण का प्रभाव था। इसके पश्चात् के वित्तीय वर्षों में सरकार ने पुनः वार्षिक वृध्दि की गति प्राप्त कर ली। इस अध्ययन में मध्य प्रदेश, शिशु स्तर के ऋण को वितरित करने के लक्ष्य में अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश से आगे है, अतः सरकार को उत्तर प्रदेश में शिशु स्तर के अनुमोदित धनराशि के वितरण लक्ष्य को प्राप्त करने के सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि अधिकाधिक तौर पर नए एवं लघु उद्यमियों को भी अवसर मिल सके। इस शोध अध्ययन में मौद्रिक धनराशि के वितरण में जनांकिकीय दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की तुलना में अधिक समृद्धशील पाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य करने के इच्छुक हाथों में (15–59 आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास) मध्य प्रदेश राज्य के कार्य करने के इच्छुक हाथो ंमें आनुपातिक तुलना में कम धनराशि का वितरण किया गया है, जो तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वृध्दि में अवरोध को सूचकांकित करता है। अतः केंद्र सरकार को जनांकिकीय आनुपातिक वितरण के आधार में संतुलन बनाकर मौद्रिक धनराशि को संवितरित करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Girnara, Mona. (2015). MUDRA YOJNA AND ITS ROLE IN PROMOTING ENTREPRENEURSHIP AND IMPACT ON INDIAN ECONOMY.
2. Kumar, Rajesh. (2019). "Mudra Yojana: A Comparative Study of North-Eastern States.'
3. Antony, Jilu. (2021). "Role of Mudra Yojana in Employment Generation: a Study with Special Reference to Self Employed Women in Ernakulum." *JournalNX* 1: 217.
4. Khalate, Santosh Balasaheb, and Sanjaykumar Birbal Shinde. (2022). "Performance Analysis of Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) in India."
5. Singh, Harvinder, and Kawal Nain Singh. (2023). "A Study on Six Years Progress Status of Pradhan Mantri Mudra Yojana." *Advances in Engineering Science and Management*: 157.
6. https://www.mudra.org.in/
7. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1914743

❖◆❖